न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0 — प्रथम पक्ष – प्रेमचंद साहु ....

बनाम

वाद सं0 01/2024–25 — द्वितीय पक्ष – कुलेश्वर कुमार ..... बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 20/2024 दिनांक 01/04/2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) प्रेमचंद साहु उम्र 23 वर्ष पिता स्व0 देवी दयाल साहु (2) बसंती देवी उम्र 45 वर्ष पति स्व0 देवीदयाल साहु दोनो ग्राम कुम्हारी, थाना बसिया, जिला गुमला **बनाम द्वतीय पक्ष** (1) कुलेश्वर कुमार साहु उम्र 28 वर्ष पिता शिबु साहु ग्राम सुरहु नवाटोली थाना कामडारा (2) संदीप कुमार साहु उम्र 28 वर्ष (3) दिलीप साहु उम्र 30 वर्ष दोनो के पिता फिरू साहु दोनो के ग्राम गंगडा थाना बसिया जिला गुमला के बीच हजमीन खरीद ब्रिकी को लेकर हुए एकरारामा को लेकर आपसी विवाद को लेकर वाद लाया गया है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होन की सम्भावना हो सकती है। उभय पक्ष को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त हैं। उभय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी **बसिया** या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित 3/12/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2025.12.24 13:30:51 +05:30 Location: 192.168.1.37	